

57

164

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खातियर कैम्प रोवा संभाग रोवा
१००.प्र.१



श्रीमान् तनय ददई अहीर निवासी सा. करदा तहसील, देवसर जिला,
सिगरौली १००.प्र.१
----- आवेदक/निगरानीकर्ता.

काम

महेशू तनय ददई अहीर निवासी सा. करदा तहसील देवसर जिला -
सिगरौली १००.प्र.१
----- आवेदक/गौरनिगरानीकर्ता.

निगरानी निरूद्ध न्यायालय, श्रीमान्, अपर
क्लेक्टर महोदय बैठन सिगरौली जिला -
सिगरौली के रा.प्र. क्र. 210 निगरानी /
10-11 में पारित आदेश दिनांक 21.03.12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. राजस्व
संहिता 1959 ई.।

मन्थर,

प्रार्थी/आवेदक द्वारा निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत की
जा रही है :-

निगरानी के तथ्य

1:- यह कि आवेदक एवं आवेदक आपस में सगे भाई - भई है, जो
स्वर्गीय ददई अहीर के पुत्र है। जाति के अहीर है, तथा ग्राम करदा
तहसील देवसर जिला सिगरौली १००.प्र.१ के निवासी है। आवेदक छोटा
भाई है। तथा आवेदक बड़ा भाई है।

2:- यह कि ग्राम करदा तहसील देवसर जिला सिगरौली १००.प्र.१ में
स्थित विवादित भूमियाँ आराजी खसरा क्रमांक 25। रकबा 0.58 हे.

क्र.2

19-6-12

1644

द्वारा आज

19-6-12

R-1870-I/12



अधीनस्थ श्री महेन्द्र सिंह
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 14-5-2012
And
14/5-12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1870-I/12

जिला-सिंगरौली

शम्भू अहिर/मंहगू अहिर

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 210/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">   (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	